संख्या-05/2022/292(1)/004-83-1002-2-2021

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ।

नागरिक सुरक्षा अनुभाग लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 के अवशेष आठ माहों (माह अगस्त, 2022 से मार्च, 2023 तक) के लिये वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान अवधि (माह अप्रैल, 2022 से जुलाई, 2022 तक) के लिए जारी की गयी वित्तीय स्वीकृतियों की धनराशि को घटाने/समायोजित करने के उपरान्त अवशेष आठ माहों के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-27 के लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-106 सिविल रक्षा-03 राज्य मुख्यालय स्थापना के अन्तर्गत व्यवस्थित कुल धनराशि रू0-2516.32 लाख (रू0 पचीस करोड़ सोलह लाख बत्तीस हजार मात्र) में से रू0-1648.68 लाख अर्थात रू0-164868000/- (रू0 सोलह करोड़ अड़तालीस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि, जिसका शीर्षक एवं मदवार विवरण संलग्न है, को वित्त विभाग के उक्त कार्यालय-ज्ञाप में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- आवंटित की गयी धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

2- स्वीकृत धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग कर ली जाय, जो सामान्यत: दो माह की आवश्यकता से अधिक न हो।

3- प्रशासनिक व्यय में मितव्ययियता सम्बन्धी शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय, ताकि अपव्यय को रोका जा सके। अत: यात्रा व्यय, टेलीफोन व्यय, मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं ईंधन पर व्यय की मदों के अन्तर्गत होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके और स्वीकृत धनराशि का व्यय समान रूप से प्रतिमाह सीमित रखते हुए पूरे वित्तीय वर्ष के लिये किया जाय।

4- प्रत्येक माह के व्यय की सूचना अगले माह की 05 तारीख तक अनिवार्यत: शासन तथा वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12 को बी0एम0-13 पर उपलब्ध करा दें।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369एच के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में महालेखाकार (लेखापरीक्षा) (प्रथम) उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखापरीक्षक) (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद व उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिये उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्पट्रोलर एवं आडिटर जनरल, भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2070001060301 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि
1	027	2070001060301 सामान्य	01 वेतन	4,26,000 (रूपये चार लाख छब्बीस हजार मात्र)
2	027	2070001060301 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	4,89,000 (रूपये चार लाख नवासी हजार मात्र)
3	027	2070001060301 सामान्य	04 यात्रा व्यय	13,000 (रूपये तेरह हजार मात्र)
4	027	2070001060301 सामान्य	07 मानदेय	13,000 (रूपये तेरह हजार मात्र)
5	027	2070001060301 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	67,000 (रूपये सड़सठ हजार मात्र)
6	027	2070001060301 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	33,000 (रूपये तैतीस हजार मात्र)
7	027	2070001060301 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
8	027	2070001060301 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	67,000 (रूपये सड़सठ हजार मात्र)
9	027	2070001060301 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	45,000 (रूपये पैंतालीस हजार मात्र)
10	027	2070001060301 सामान्य	51 वर्दी व्यय	7,000 (रूपये सात हजार मात्र)
11	027	2070001060301 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
	कुल			**12,80,000 (रूपये बारह लाख अस्सी हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2070001060302 (भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	01 वेतन	1,16,55,000 (रूपये एक करोड़ सोलह लाख पचपन हजार मात्र)
2	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	03 मंहगाई भत्ता	43,12,000 (रूपये तैंतालीस लाख बारह हजार मात्र
3	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	04 यात्रा व्यय	1,67,000 (रूपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
4	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
5	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	06 अन्य भत्ते	67,000 (रूपये सड़सठ हजार मात्र)
6	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	07 मानदेय	7,000 (रूपये सात हजार मात्र)
7	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	08 कार्यालय व्यय	1,67,000 (रूपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
8	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	67,000 (रूपये सड़सठ हजार मात्र)
9	027	2070001060302	12	67,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	(रूपये सड़सठ हजार मात्र)
10	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र)
11	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	15 गाि डयों का अनुरक्षण और पे आदि की खरीद	4,67,000 (रूपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
12	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	42 अन्य व्यय	20,000 (रूपये बीस हजार मात्र)
13	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	13,000 (रूपये तेरह हजार मात्र)
14	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,06,000 (रूपये एक लाख छः हजार मात्र)
15	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	49 चिकित्सा व्यय	4,67,000 (रूपये चार लाख सड़सठ हजार मात्र)
16	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	51 वर्दी व्यय	8,000 (रूपये आठ हजार मात्र)
17	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा	55 मकान किराया भत्ता	17,16,000 (रूपये सत्रह लाख सोलह हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत		
18	027	2070001060302 भारत सरकार द्वारा आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति किया जाने वाला व्यय 25 प्रतिशत	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	58,33,000 (रूपये अट्ठावन लाख तैंतीस हज मात्र)
	कुल			**2,53,39,000** **(रूपये दो करोड़ तिरपन लाख उन्तालीस हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2070001060501 (सामान्य)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**धनराशि**
1	027	2070001060501 सामान्य	01 वेतन	8,74,13,000 (रूपये आठ करोड़ चौहत्तर लाख तेरह हजार मात्र)
2	027	2070001060501 सामान्य	02 मजदूरी	10,00,000 (रूपये दस लाख मात्र)
3	027	2070001060501 सामान्य	03 मंहगाई भत्ता	3,23,43,000 (रूपये तीन करोड़ तेईस लाख तैंतालीस हजार मात्र)
4	027	2070001060501 सामान्य	04 यात्रा व्यय	2,67,000 (रूपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
5	027	2070001060501 सामान्य	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2,50,000 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)
6	027	2070001060501 सामान्य	07 मानदेय	3,000 (रूपये तीन हजार मात्र)
7	027	2070001060501 सामान्य	08 कार्यालय व्यय	3,83,000 (रूपये तीन लाख तिरासी हजार मात्र)
8	027	2070001060501 सामान्य	09 विद्युत देय	8,00,000 (रूपये आठ लाख मात्र)
9	027	2070001060501 सामान्य	10 जलकर/जल प्रभार	80,000 (रूपये अस्सी हजार मात्र)
10	027	2070001060501 सामान्य	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,33,000 (रूपये चार लाख तैंतीस हजार मात्र)
11	027	2070001060501 सामान्य	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	8,33,000 (रूपये आठ लाख तैंतीस हजार मात्र)
12	027	2070001060501	13	2,00,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सामान्य	टोलीफोन पर व्यय	(रूपये दो लाख मात्र)
13	027	2070001060501 सामान्य	15 गाि डयों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	11,67,000 (रूपये ग्यारह लाख सड़सठ हजार मात्र)
14	027	2070001060501 सामान्य	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1,33,000 (रूपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
15	027	2070001060501 सामान्य	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	2,00,000 (रूपये दो लाख मात्र)
16	027	2070001060501 सामान्य	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	2,27,000 (रूपये दो लाख सत्ताईस हजार मात्र)
17	027	2070001060501 सामान्य	29 अनुरक्षण	8,00,000 (रूपये आठ लाख मात्र)
18	027	2070001060501 सामान्य	42 अन्य व्यय	1,33,000 (रूपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
19	027	2070001060501 सामान्य	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	8,00,000 (रूपये आठ लाख मात्र)
20	027	2070001060501 सामान्य	45 अवकाश यात्रा व्यय	1,67,000 (रूपये एक लाख सड़सठ हजार मात्र)
21	027	2070001060501 सामान्य	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	18,33,000 (रूपये अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र)
22	027	2070001060501 सामान्य	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00,000 (रूपये चार लाख मात्र)
23	027	2070001060501 सामान्य	49 चिकित्सा व्यय	30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र)
24	027	2070001060501 सामान्य	51 वर्दी व्यय	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
25	027	2070001060501 सामान्य	55 मकान किराया भत्ता	53,34,000 (रूपये तिरपन लाख चौंतीस हजार मात्र)
	कुल			**13,82,49,000** **(रूपये तेरह करोड़ बयासी लाख उनचास हजार मात्र)**
महायोग				**16,48,68,000** **(रूपये सोलह करोड़ अड़तालीस लाख अड़सठ हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के नाम डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-05/2022/292(1)/004-83-1002-2-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उत्तर प्रदेश शासन।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।